## <u>न्यायालयः-अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम</u> श्रेणी, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.क्रमांक—483 / 2005</u> <u>संस्थित दिनांक—31.05.11</u> फाईलिंग क.234503000362011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — <u>अभियोजन</u>
// विरुद्ध //

- 1. गसीलाल पिता भीखउ मिठवाने, उम्र-30 साल, जाति अहीर,
- 2.गणेश पिता भीखर मिठवाने, उम्र-35 साल, जाति अहीर,
- 3.गोविंद पिता भीखउ मिठवाने, उम्र—30 साल, जाति अहीर, सभी निवासी ग्राम मराराटोला दमोह थाना बिरसा, जिला बालाघाट।

— — — <u>अभियुक्तगण</u> // <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक—18/09/2017 को घोषित)</u>

01— अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 294, 325/34, 323/34(दो शीर्ष), 506 भाग—2 का आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 03.05.2011 को समय सुबह 7:00 बजे स्थान ग्राम दमोह प्रार्थिया सुकबतीबाई का घर आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत प्रार्थिया को उपहित कारित करने का आषय से उसके घर कमरे में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित कर, प्रार्थिया सुकबतीबाई को मॉ—बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, समान्य आषय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया सुकबतीबाई को लाठी से मारपीट कर उसके बांये हाथ की अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित कर तथा आहत कन्सलाल एवं मिलन को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित कर प्रार्थिया सुकबतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

THE STE

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी 02-सुकबतीबाई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 03.05.2011 को सुबह अपने घर पर बैठकर हाथ-मुंह धो रही थी, तभी गसीलाल, गोविंद और गणेश हाथ में लाठियां लेकर घर के अंदर घूसे और मादरचोद, मॉ-बहन को चोदू की गंदी-गंदी गालियां देकर बोले कि मादरचोद वह लोगों ने उनकी लड़की भगा दिये और आरोपी गणेश ने पकड़कर रखा और गोविंद नेबांये हाथ पर लाठी से मारा और गस्सी ने दाहिने हाथ पर मारपीट किया और बोले कि मादरचोदों को जान से खत्म कर दो, तब वह बचाव कहकर चिल्लाई तो उसके लड़के मिलनसिंह और कन्सलाल बीच-बचाव करने आये तो उनकों भी लाठी से सिर, हाथ, कंधे पर मारे और बोले की उनकी बच्ची को वापस बुलवा लो नहीं तो और मारेंगे और वहां से चले गये। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक-44/11, धारा-452, 294, 323, 506, 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए। आहतगण का मुलाहिजा करवाया गया। आहत सुकबतीबाई की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर फ्रेक्चर पाये जाने से धारा-325 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 47 / 11 दिनांक 30.05.2011 को न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452, 294, 325, 323/34, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

## 04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 03.05.2011 को समय

सुबह 7:00 बजे स्थान ग्राम दमोह प्रार्थिया सुकबतीबाई का घर आरक्षी केन्द्र बिरसा के अंतर्गत प्रार्थिया को उपहित कारित करने का आशय से उसके घर कमरे में प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

- 2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया सुकबतीबाई को मॉ—बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर समान्य आषय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया सुकबतीबाई को लाठी से मारपीट कर उसके बांये हाथ की अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया ?
- 4. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत कन्सलाल एवं मिलन को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?
- 5. क्या अभियुक्तगण ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थिया सुकबतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

## - विवेचना एवं निष्कर्ष -

05— साक्षी सुकबतीबाई अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पुरानी बैसाख की दमोह मरारीटोला की सुबह 7:00 बजे की है। आरोपीगण ने उनके घर के अंदर घूसकर मारपीट किये थे। आरोपीगण घटना दिनांक को उनके घर के अंदर मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियां दे रहे थे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। आरोपीगण हाथ में डंडे लेकर आये और लाठी लेकर अंदर घुस गये थे। आरोपीगण ने उसके पुत्र संतलाल और मिलन को लाठी से मारपीट किये और उसे भी मारपीट किये थे, जिसमें उसका बांया हाथ टूट गया था। आरोपीगण ने लड़के को पीठ एवं कंधे में मारने पर चोट आई थी तथा मिलन को पैर में चोट आई थी, जिससे उसका पैर टूट गया था। आरोपी

गणेश की लड़की उसके नाती के साथ भाग गई थी, जिससे आरोपीगण ने उन्होंने भगवाया है, कहकर मारने आये थे। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज की थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने मौके पर जाकर मौका नक्षा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका मुलाहिजा करवाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया कि वह दुर्गा को जानती है, जो गणेश की लड़की है। वह झनक को भी जानती है, जो उसका नाती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि झनक ने दुर्गा को भगा कर ले गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वह घटना के समय घर के बाहर मुंह धो रही थी। साक्षी के अनुसार वह घर के अंदर थी। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण यह पूछने आये थे कि झनक ने दुर्गा को कहां ले गया है। साक्षी के अनुसार आरोपीगण घर के अंदर लंड लेकर मारने-पीटने आये थे। यह स्वीकार किया कि घटना वर्ष 2011 के अप्रैल माह की है। साक्षी के अनुसार तीन तारीख की है। यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने घटना के समय उसका बयान नहीं लिया था। यह स्वीकार किया कि प्र.पी.01 की रिपोर्ट पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं बताई थी कि उसमें क्या लिखा था, किन्त् यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण ने उनके घर में आकर कोई मारपीट नहीं की थी, आरोपीगण ने उन्हें कोई गंदी-गंदी गालियाँ नहीं दी थी और वह न्यायालय में आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिये असत्य कथन कर रही है।

06— साक्षी कंशलाल अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपीगण, प्रार्थिया सुखबतीबाई एवं आहत मिलन को जानता है। मिलन उसका भाई है। घटना 03.05.2011 की सुबह 7:00 बजे दमोह मरारीटोला की है। घटना के समय वह अपने घर पर था। उसने देखा कि आरोपीगण आये और लाठी से उसकी माँ सुखबती को मारपीट कर रहे थे। उसने और मिलन ने बीच—बचाव किये थे। उसे डंडे से मारपीट किये थे, जिससे उसके कंधे और हाथ पर चोट लगी थी। उसकी माँ सुखबती का हाथ टूट गया था और उसके भाई मिलन का पैर टूट गया था। गांव के एक दो—लोग भी आये थे

और रिपोर्ट लिखाये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ किया था। उसने पुलिस को घटना के संबंध में बता दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने गंदी—गंदी गालियाँ दिये थे, जो सुनने में बुरी लगी थी, आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि झनक ने दुर्गा को भगा कर ले गया था, उक्त झगड़े के समय पीतम और अर्जुन भी थे, घटना कैसे हुई इस संबंध में पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और बयान भी नहीं लिये थे, किन्तु साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि झनक ने दुर्गा को भगाकर ले गया था, उससे बचने के लिये वह आरोपीगण के विरुद्ध झूठे कथन कर रहा है, आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी तथा उन्हें गिरने से चोटें आई थी। साक्षी के अनुसार आरोपीगण द्वारा मारपीट करने से उन्हें चोटें आई थी।

07— साक्षी मिलन अ.सा.08 ने कहा है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थिया को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी ग्राम दमोह उसके घर की दिन के सुबह 7:00 बजे की है। आरोपीगण मॉ—बहन की गाली देते हुए आये और उसे मारपीट किये थे, जिससे उसके सिर, पैर व सीने पर चोटें आई थी। आरोपीगण ने उसकी मॉ सुखबती को भी मारपीट किये थे। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। थाने वाले लाठी उनके घर से लेकर गये थे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.10 पुलिस को देना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि गणेश की लड़की दुर्गा को उसका भतीजा झनक भगा कर ले गया था, आरोपीगण दुर्गा को पूछने आये थे, तब उन लोगों ने आरोपीगण को मारने—पीटने के लिये दौड़े थे और उन लोग गिर गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने पुलिस को कहा था कि आरोपीगण के उपर केस बनाओ। उसे आरोपीगण ने दुर्गा को भगाने के लिये उनके खिलाफ रिपोर्ट करने बोले थे। यह अस्वीकार किया कि पुलिस

ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। यह स्वीकार किया कि प्र.पी.10 में पुलिस ने क्या लिखी थी, उसे उसने पढ़कर नहीं देखा था और पुलिस ने भी उसे पढ़कर नहीं बताई थी। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण ने उन लोगों को कोई मारपीट नहीं किये थे और आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिये असत्य कथन कर रहा हूँ।

- 08— साक्षी निर्मलाबाई अ.सा.04 ने कहा है कि वह आरोपीगण, प्रार्थिया एवं आहतगण को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी सुबह 7:00 बजे मरारीटोला दमोह की है। घटना के समय वह अपने घर पर थी, तभी आरोपीगण लकड़ी लेकर उसके घर के अंदर घुसकर उसकी सास, सुखमताबाई, उसके पित कंशलाल एवं देवर मिलन के साथ लकड़ी से मारपीट किये थे, जिससे उसकी सास का हाथ टूट गया था और उसके देवर का पैर टूट गया था तथा उसके पित कंशलाल को कंधे पर चोट आई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं ली थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण ने मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ दिये थे, जो उसे सुनने में बुरी लगी थी, आरोपीगण बोल रहे थे कि उनकी लड़की को उनके लड़के ने भगाकर ले गया है कहकर जान से मारने की धमकी दिये थे तथा उक्त बात उसने जो न्यायालय में बताई है पुलिस को भी बता दी थी।
- 09— साक्षी निर्मलाबाई अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि आरोपी गणेश की लड़की दुर्गा है और झनक उसके जेठ का लड़का है, झनक ने दुर्गा को भगा कर ले गया है। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपीगण यह पता करने आये थे कि झनक ने दुर्गा को कहां भगा कर ले गया है। यह स्वीकार किया कि इसी बात को लेकर विवाद होने लगा था और आरोपीगण बोल रहे थे कि उन लोग झनक के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण ने कहा था कि उन लोग दुर्गा

का पता नहीं बताओं तो उनके विरूद्ध भी रिपोर्ट करेंगे और उससे बचने के लिये आरोपीगण द्वारा मारपीट एवं जान से मारने वाली बात असत्य बताई थी। यह अस्वीकार किया कि झगड़े के समय बहुत से लोग आ गये थे, झगड़े के बाद पुलिस उनके घर नहीं आई थी। यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी और वह न्यायालय में पहली बार घटना के संबंध में बता रही है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं किये थे और सुखबतीबाई, कंषलाल एवं मिलन को कोई चोटें नहीं आई थी, सुखबतीबाई का हाथ एवं मिलन का पैर नहीं टूटा था, उन लोग गिर गये थे, जिससे उन्हें चोटें आई थी तथा झनक ने दुर्गा को भगा कर ले गया था, इसलिये उससे बचने के लिये झूठी रिपोर्ट करवाये थे।

साक्षी गुलेदीबाई अ.सा.07 ने कहा है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थिया को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी ग्राम दमोह उसके घर की दिन के सुबह 7:00 बजे की है। आरोपीगण ने मिलकर सुकबतीबाई को लकड़ी से मारे थे, जिससे उसका हाथ टूट गया था। आरोपी गणेश एवं गसीलाल ने कंषलाल को भी मारपीट किये थे, जिससे कंषलाल के कंधे एवं पैर पर चोट लगी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसने घटना के संबंध में बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी गणेश की लड़की दुर्गा है और झनक उसके जेठ का लड़का है, झनक ने आरोपी गणेश की लड़की को भगा लिया था। उसे नहीं मालूम की घटना के समय दुर्गा को भगा लिया था, उस समय वह नाबालिग थी। यह स्वीकार किया कि आरोपी गणेश दुर्गा को झनक ने कहां भगा कर ले गया है पूछने आया था, इसी बात पर विवाद हुआ था और तब आरोपीगण ने उन लोगों ने यह कहा था कि दुर्गा का पता नहीं बताओगे तो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे और उसने पुलिस को कोई यह बात नहीं बताई थी कि आरोपीगण ने सुखबतीबाई को लकड़ी से

मारपीट किये थे, आरोपीगण ने कंषलाल को लकड़ी से मारपीट किये थे, वाली बात भी पुलिस को नहीं बताई थी, जब आरोपी ने उन्हें कहा कि दुर्गा को भगाने के लिये रिपोर्ट करेंगे की धमकी दिये थे तब उन्होंने कहा था कि उन्हें झूठे केस में फंसा देंगे। यह स्वीकार किया कि इसी कारण से आरोपीगण द्वारा सुकबती एवं कंषलाल को मारने वाली बात झूठी बताई हूँ।

- साक्षी प्रहलाद अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपीगण, प्रार्थिया 11-एवं आहतगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पूर्व सुबह 7:00 बजे मरारीटोला दमोह की है। घटना के समय वह अपने घर के सामने मंजन कर रहा था, तभी आरोपीगण आये और गाली-गलौच एवं जान से मारने के लिये बोले तो वह वहां से भाग गया। उसके चाचा मिलन को आरोपीगण मारने आये थे। इसके अतिरिक्त उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। झगड़ा शांत होने के बाद वह अपने घर आया और देखा कि उसकी दादी सुखबतीबाई का हाथ टूटा हुआ था और मिलन का पैर टूटा हुआ था। उसके बाद रिपोर्ट करने गये थे। पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 03.05.2011 को सुबह 7:00 बजे चिल्लाने की आवाज आने पर उसने देखा कि आरोपीगण लकडी लेकर उसे मारने आये थे, वह भाग गया तो मिलन, कंषलाल एवं सुखबतीबाई को मारपीट किये थे तथा आरोपीगण मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे, जो सुनने में बुरी लगी थी तथा आरोपीगण बोल रहे थे कि उनके लड़के को बुलाओ नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को देना व्यक्त किया।
- 12— साक्षी प्रहलाद अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह काका कंषलाल, दादी सुखबतीबाई के पास तब पहुँचा था, जब झगड़ा शांत हो गया था, उसने आरोपीगण को मारपीट करते हुये नहीं देखा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण ने मॉ—बहन की गंदी—गंदी

गालियाँ नहीं दिये थे। संतलाल के मकान से उसका मकान लगा हुआ है, जब आरोपीगण उसके पास सात बजे आये थे, तो वह बहुत दूर चला गया था और घटनास्थल पर आधा घंटे के बाद आया था। यह अस्वीकार किया कि आधा घंटे के बाद संतलाल आया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी गणेश की लड़की दुर्गा को झनक ने भगा कर ले गया था और झनक उसका छोटा भाई है, दुर्गा नाबालिंग थी तथा आरोपीगण उनको बोलने आये थे कि उनकी बच्ची दुर्गा को वापस बुलवा दो, झनक के खिलाफ दुर्गा को भगा ले जाने के संबंध में रिपोर्ट भी हुई थी, झनक अभी तब वापस नहीं आया, पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके कोई बयान नहीं लिये थे, प्र.पी.03 के ए से ए भाग का कथन पुलिस ने कैसे लिख लिया उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि झनक के विरुद्ध दुर्गा को भगाने की रिपोर्ट किये थे, उससे बचने के लिये असत्य कथन किया है।

13— डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.०९ ने कहा है कि वह दिनांक 03.05.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक अमन कमांक 795 द्वारा आहत कंषलाल को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर निम्न चोटें पाया था। आहत दाहिने कंधे पर एक खरोंच, दाहिने कंधे पर एक सूजन, तथा दाहिने हाथ की प्रथम अंगुली पर एक खरोंच होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें कड़े एवं खुरदुरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी एवं उसके परीक्षण से 06 घंटे पूर्व की थी तथा उक्त चोटों को ठीक होने में आठ से दस लग सकते थे। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को थाना बिरसा की महिला आरक्षक ज्योति कमांक 829 द्वारा आहत श्रीमती सुगबती पति मेहतर को परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के बांयी कलाई पर एक सूजन, बांयी

अंग्रभुजा पर एक कटी—फटी चोट तथा दांयी अग्रभुजा पर एक कटी—फटी चोट पाया था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक 02 एवं 03 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट क्रमांक 01 में कलाई की हड्डी के टूटने की संभावना को देखते हुए उसे अस्थिरोग विषेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट को रिफर कर दिया गया था। उक्त सभी चोटें उसके परीक्षण से 06 घंटे के पूर्व की थी। चोट क्रमांक 02 एवं 03 को ठीक होने में 08 से 10 दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 14— डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.०९ के अनुसार उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक अमन कमांक 795 द्वारा आहत मिलन को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा उसका परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत के दाहिने घुटने पर एक खरोंच, बांये परेर के पंजे पर एक सूजन, बांयी आंख की बाहरी भाग पर एक सूजन तथा दाहिनी कनपटी पर एक सूजन पाया था। उसके मतानुसार उक्त सभी चोटें किसी कड़े एवं बोथरी व खुरदुरे वस्तु द्वारा आना प्रतीत होती थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। उसके परीक्षण से 06 घंटे पूर्व की थी, जिन्हें ठीक होने में 08 से 10 दिन का समय लग सकता था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि प्र.पी.11 के अनुसार आहत कंषलाल को आई चोटें तथा प्र.पी.12 एवं 13 के अनुसार आहत सुग. बती एवं मेहतर को आई चोटें किसी कड़ी या खुरदुरे वस्तु पर गिरने से आ सकती है।
- 15— डॉ० डी०के० राउत अ.सा.१० ने कहा है कि वह दिनांक 19.05.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 04.05.2011 को एक्स—रे टेक्नीषियन ए.के. सेन ने आहत सुकबतीबाई को डॉक्टर मेश्राम के रिफर करने पर बांये हाथ कलाई की जोड़

का एक्स—रे किया था, जिसका एक्स—रे प्लेट क्रमांक 1591 था, जो आर्टिकल ए—1 है, जिसके आरक्षक ज्योति 829 ने परीक्षण करवाने के लिए लाया था। उक्त परीक्षण पर उसने उसके बांये हाथ के रेडियस एवं अलना हड्डी के नीचले एक तिहाई भाग पर अस्थिभंग होना पाया गि। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि बलपूर्वक कड़े स्थान पर हाथ के बल पर गिरने से उक्त चोट आ सकती है।

- 16— साक्षी रामादीन अ.सा.06 ने कहा है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थिया को जानता है। उसके सामने आरोपीगण से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस ने आरोपीगण को उसके समक्ष गिरफ्तार नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रष्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से घटना दिनांक 07.05.2011 को एक—एक बांस की लाठी जप्त की गई थी, प्र.पी.04, प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07, 08 एवं प्र.पी.09 उसके सामने तैयार किये थे। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है तथा यह स्वीकार किया कि उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी।
- 17— साक्षी अब्दुल मतीन अ.सा.05 ने कहा है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थिया को जानता है। उसके सामने आरोपीगण से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रष्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया उसके सामने पुलिस ने आरोपीगण से घटना दिनांक 07.05.2011 को एक—एक बांस की लाठी जप्त की गई थी, प्र.पी.04, प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.07, 08 एवं प्र.पी.09 उसके सामने तैयार किये गये थे। प्रतिपरीक्षण में

साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है तथा उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी।

- 18— साक्षी लखन भिमटे अ.सा.12 ने कहा है कि वह दिनांक 03.05.2011 को पुलिस थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थिया सुखबतीबाई विश्वकर्मा की रिपोर्ट पर अपराध कमांक 44/11 धारा 294, 323, 506बी, 452, 34 भा.दं0सं० का अपराध आरोपी गसीलाल, गणेश एवं गोविंद के विरूद्ध दर्ज किया था जो प्र.पी01 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को आहत कन्सलाल, सुखबतीबाई एवं मिलनसिंह का मुलाहिजा करवाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि प्र.पी01 की रिपोर्ट सुखबतीबाई के बताये अनुसार न लिखकर अपने मन से लेख किया था।
- 19— साक्षी पंकज द्विवेदी अ.सा.11 ने कहा है कि वह दिनांक 03.05.2011 को थाना बिरसा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध कमांक 44/11 धारा 294, 323, 506बी, 452, 34 भा.दं0सं0 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने उक्त दिनांक को ही फरियादिया सुकबतीबाई की निशांदेही पर नक्शा मौका प्र.पी02 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना के दौरान साक्षी प्रहलाद, कन्सलाल, गुलेदीबाई, निर्मलाबाई, मिलनसिंह, सुखबतीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था, जिसमें उसने अपनी ओर से कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं था। विवेचना के दौरान उसने आरोपी गसीलाल से दिनांक 07.05.2011 को एक बांस का डण्डा/लाठी उसके पेश करने पर साक्षी अब्दुल मतीन व रामाधीन के समक्ष जप्ती पत्रक प्र.पी04 के मुताबिक जप्त किया था। उक्त जप्ती पत्रक के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार उसने दिनांक 07.05.2011 को आरोपी गणेश के पेश करने पर उक्त साक्षियों के समक्ष एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी05 तैयार

किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार उसने आरोपी गोंविंद के प्रस्तुत करने पर दिनांक 07.05.2011 को एक बांस की लाठी उक्त साक्षियों के समक्ष पेश करने पर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी06 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके एवं डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण को दिनांक 07.05.2011 को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक क्रमशः प्र.पी07, प्र.पी.08 एवं प्र.पी.09 तैयार किया था, जिनके सी से सी भाग पर मेरे एवं डी से डी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं।

साक्षी पंकज द्विवेदी अ.सा.11 के अनुसार विवेचना के दौरान 20. साक्ष्य संकलन उपरांत चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर उसने धारा-325 भा.दं०सं० का ईजाफा किया था और संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसने प्र.पी02 का मौकानक्शा सुखबतीबाई के बताये अनुसार न बनाकर अपने मन से बना लिया था, गवाह प्रहलाद, कंसलाल, गुलेदीबाई, निर्मलाबाई, मिलनसिंह, सुखबतीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न करके अपने मन से लेख किया था, बांस की लाठी गवाहों के समक्ष जप्त न कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04, 05 एवं 06 अपने मन से बनाया था। यह स्वीकार किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी लड़का-लड़की के भाग जाने पर झगड़ा होने के तत्व विद्यमान है, किन्तु उनके नाम और वह घटना कम उसे याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि उक्त लड़की गणेश की पुत्री दुर्गा थी। उसे यह भी याद नहीं है कि भगा ले जाने वाला लडका झनक था, जो अभियोगी पक्ष का था। यह अस्वीकार किया कि आरोपीगण दुर्गा को झनक ने कहां भगा ले गया है, इस बात की पूछताछ करने गये थे तो अभियोगी पक्ष ने स्वयं आरोपीगण से विवाद किये थे। उसे यह याद नहीं है कि आरोपीगण स्वयं भी रिपोर्ट करने आये थे या नहीं, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने आरोपीगण के विरूद्ध अभियोगी पक्ष से मिलकर गलत प्रकरण कायम किया है। विवेचक साक्षी की साक्ष्य

विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है तथा प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है, जिनसे विवेचना कार्यवाही पर अविश्वास किया जावे।

- 21— घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवादी सुकबतीबाई अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। परिवादी के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास एवं लोप नहीं है। परिवादी सुकबतीबाई अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि साक्षी कंशलाल अ.सा.03, मिलन अ.सा.08, निर्मला अ.सा.04 तथा गुलेदीबाई अ.सा.07 के कथनों से भी होती है। घटना विवाह के विवाद में होना साक्षीगण के कथनों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से दर्शित है, परंतु मात्र उक्त विवाद के कारण आहतगण द्वारा स्वयं को गंभीर चोटें कारित कर अभियुक्तगण को प्रकरण में असत्य रूप से लिप्त किया गया हो साक्ष्य की विवेचना से यह दर्शित नहीं है और ना ही बचाव पक्ष द्वारा तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अभियुक्तगण को आहतगण द्वारा कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन दिया गया हो, ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। घटना कम से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने उक्त चोटें आहतगण को स्वेच्छया कारित की।
- 22— साक्षीगण की साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से उसकी पुष्टि, डॉ० मेश्राम अ.सा.09 तथा डॉ० डी०के० राउत अ.सा.10 की चिकित्सीय साक्ष्य से आहतगण की चोटों की पुष्टि से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने आहतगण को उपहित कारित करने का आशय कर घर में प्रवेश कर गृह अतिचार किया तथा परिवादी सुकबतीबाई को स्वेच्छया गंभीर उपहित एवं आहतगण कंशलाल एवं मिलन को उपहित कारित की। आहतगण के कथनों के अनुसार विवाह को लेकर हुए विवाद पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गई। विवाह के विवाद में जिस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर आहतगण को उपहित कारित की गई, उससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना के पूर्व आहतगण से

मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया गया था।

- 23— भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294 के अपराध हेतु ह ाटनास्थल लोकस्थान अथवा उसके समीप होना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में सभी साक्षीगण द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर घटना कारित की गई। मौका नक्शा प्र.पी.02 से भी घर के अंदर बंद आंगन में होने की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की साक्ष्य से उक्त आरोपित अपराध का गठन नहीं होता।
- भारतीय दण्ड संहिता की धारा—506 के अपराध हेतु आवश्यक 24-है कि अभियुक्त का आशय आहत व्यक्ति को अभित्रास कारित करना हो तथा यह बात निष्काम होगी कि आहत अभित्रस्त होता है की नहीं, तथापि अभित्रास कारित करने के किसी आशय के बिना किन्हीं शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति धारा-506 को काम में लाये जाने के लिये पर्याप्त नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में घटना के त्रंत बाद प्रथम सूचना दर्ज किया जाना दर्शित है। प्रकरण की साक्ष्य तथा घटना के बाद आहतगण के आचरण से यह दर्शित नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आरोपित अपराध कारित किया गया है, क्योंकि मात्र धमकी देकर घटनास्थल से चले जाने से इस धारा की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत अमूल्य कुमार बेहरा वि० नबघन बेहरा १९९५ सी.आर.एल.जे.३५५९ (उडीसा) तथा सरस्वती वि. राज्य २००२ सी.आर.एल.जे.1420 (मद्रास) अवलोकनीय है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अतः अभियुक्तगण गसीलाल, गणेश तथा गोविंद को भा.दं0सं. की धारा-294, 506 भाग-दो के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा भा.द.सं. की धारा-452, 325 / 34, STEP ST 323 / 34(दो शीर्ष) में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

25— आरोपीगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

> (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

## प्नश्च-

- 26— दंड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण एवं परिवादी पक्ष एक ही गांव के है। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे। बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपीगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है, परंतु उन्होंने जिस तरह विवाह के विवाद में घर में घुसकर घटना कारित की है, उसे देखते हुए उनके विरूद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा, अपितु उचित दण्ड देना आवश्यक है।
- 27— अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—452 में दोषी पाकर एक माह का साधारण कारावास एवं 2,000/— रुपये अर्थदण्ड, धारा—325/34 में 06 माह का साधारण कारावास तथा 2000/— रुपये अर्थदण्ड तथा धारा—323/34(दो शीर्ष) में प्रत्येक अपराध हेतु एक माह का साधारण कारावास तथा 1,000/— रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।
- 28— अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि धारा—357(1)(बी) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् परिवादी सुकबतीबाई को अपील अविध व्यतीत हो जाने के पश्चात अपील न होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय

न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

- 29— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बांस की लाठी तीन नग मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन हो।
- 30— प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहे है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 31- अभियुक्तगण के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 32— अभियुक्तगण को धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत् निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

WIND SINGER SU